

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003592013

दांडिक प्रकरण क.-476 / 13

संस्थापित दिनांक-27.12.13

| | |
|--|----------------------------------|
| मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन | |
| विरुद्ध | |
| 01-जयराम पुत्र चतरा गडरिया निवासी खाकलोन।आरोपी | |
| राज्य द्वारा | :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। |
| आरोपी द्वारा | :- श्री चौरसिया अधिवक्ता। |

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 04.07.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 323, 324, 341 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 341 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी मेंदाबाई ने दिनांक 05.11.13 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध

कराई कि घटना दिनांक को सुबह नौ बजे वह और उसका नाती, जयराम की खेत की मेढ पर से निकल रहे थे, तभी जयराम ने कहा कि खेत की मेढ पर से मत निकलो, मेरा खेत कुचल जाता है। उसने कहा कि वह तो मेढ पर से निकल रही है तो जयराम ने उसकी कुल्हाडी से मारपीट की तथा थप्पड से मारपीट की। और फिर जब वह घर जाने लगी तो आरोपी ने उसका रास्ता रोक लिया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 402/13 के अंतर्गत भादवि की धारा 323, 324, 341 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 341, 324 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 05.11.2013 को समय सुबह 09.00 बजे ग्राम खाकलोन जयराम के खेत की मेढ में अंतर्गत थाना चंदेरी फरियादिया मेंदाबाई को कुल्हाडी से माथे पर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 शारदाबाई, अ.सा. 02 मेंदाबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 02 मेंदाबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपी से वाद-विवाद हो गया था और धक्का लगने से गिर गई थी जिससे उसे चोट आई थी। उक्त साक्षी के अनुसार और कोई घटना उसके साथ नहीं घटी। अ.सा. 02 ने पुलिस रिपोर्ट प्रपी 02 लेखबद्ध करना बताया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक

को आरोपी ने कुल्हाड़ी से उसके साथ मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 04 देने से इंकार किया है। अ.सा. 01 शारदाबाई ने अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने घटना दिनांक को फरियादी के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट की थी। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षीगण ने अपने कथनों में यह कहीं नहीं बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी के साथ कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)